

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग

दूरभाष:-2415091-95, फ़ैक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC V)/2023/736

दिनांक: 11.05.2023

ई-नीलामी विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क / अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेकों की अवधि संविदा निष्पादन की तिथि से 31-03-2025 तक रहेगी। निम्न ठेकों को वार्षिक ठेका राशि पर ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रूपयों में)	बोली लगाने हेतु अमानत राशि जमा कराने की अंतिम तिथि	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	32	खनि अभियंता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील चित्तौड़गढ़ के क्वारी क्षेत्र मान्दलदेह में खनिज मार्बल के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज मार्बल	आरसीसी	मार्बल (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार / माप)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1877900	23.05..2023	24.05.2023	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	214	खनि अभियन्ता, मकराना	जिला नागौर की तहसील मकराना के राजस्व ग्राम मकराना, बोरवड, कोलाडूंगरी व मोरेड तथा तहसील परबतसर के राजस्व ग्राम बिदियाद व गुणावती में प्रभावशील क्वारी लाईसेंस से निकलने वाले खनिज मार्बल व मार्बल पाउडर	आरसीसी	मार्बल व मार्बल पाउडर	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., तुलाई फीस एवं आर.एस.एम.ई.टी	440000000	23.05..2023	24.05.2023	10.30 ए.एम. से 12.30 पी.एम.

3	2	खनि अभियंता, नागौर	जिला नागौर की तहसील जायल के क्षेत्र बडी खादू व तहसील डिडवाना के क्षेत्र छोटी खादू की राजस्व सीमा में खनिज सैण्डस्टोन, पट्टी कातला, खण्डा एवं बैलास्ट के प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन, पट्टी कातला, खण्डा व बैलास्ट	आरसीसी	सैण्डस्टोन, खण्डा व बैलास्ट	अधिशुल्क, डी.एम.एफ. टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	74586500	23.05.2023	24.05.2023	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
4	258	सहायक खनि अभियंता, सलूमबर	जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर एवं साबला की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल तथा क्वारी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज पट्टी कातला	ईआरसीसी / आरसीसी	मार्बल / पट्टी कातला	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ. टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	5701700	23.05.2023	24.05.2023	11.30 ए.एम. से 01.30 पी.एम.
5	83	सहायक खनि अभियंता बालेसर	जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ़ के राजस्व ग्राम देचू, गुमानजी की ढाणी, भवराणी व कोलू की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन तथा तहसील बालेसर व शेरगढ़ के गांव ठाडिया व फतेहगढ़ (देचू) की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्डस्टोन एवं मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी / आरसीसी	सैण्डस्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ. टी. एवं आर.एस.एम.ई. टी	30259800	23.05.2023	24.05.2023	12.00 दोपहर से 02.00 पी.एम.
6	96	खनि अभियंता, राजसमंद-I	जिला राजसमंद की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी व सर्विस चार्ज	1705463600	23.05.2023	24.05.2023	12.30 पी.एम. से 02.30 पी.एम.

7	204	खनि अभियंता, बांसवाड़ा	जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा व गढी की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	ईआरसीसी	मार्बल, डोलोमाईट व ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	299799900	23.05.2023	24.05.2023	01.00 पी.एम. से 03.00 पी.एम.
8	157	खनि अभियंता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील डूंगरपुर, बिच्छीवाड़ा, सागवाड़ा, गलियाकोट व चिखली की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	10036900	23.05.2023	24.05.2023	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.
9	103	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील ऋषभदेव व खेरवाड़ा की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	8447000	23.05.2023	24.05.2023	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
10	223	खनि अभियंता, बूंदी-I	जिला बूंदी (खनि अभियन्ता, खण्ड प्रथम एवं खण्ड द्वितीय के क्षेत्राधिकार में स्थित) की राजस्व सीमा में खनिज सेण्डस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन	ईआरसीसी	सेण्डस्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता / आकार / माप)	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	553400300	23.05.2023	24.05.2023	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
11	9	खनि अभियंता, अजमेर	जिला अजमेर की तहसील अजमेर, पीसांगन व रूपनगढ़ की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निकलने वाला खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	5983700	23.05.2023	24.05.2023	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.

12	1	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील खीवसर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	16760300	23.05..2023	24.05.2023	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.
13	97	खनि अभियन्ता राजसमन्द-II	जिला राजसमन्द की तहसील राजसमंद, नाथद्वारा, खमनोर व कुम्भलगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	79139600	23.05..2023	24.05.2023	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.
14	68	खनि अभियन्ता, जालौर	जिला जालौर (तहसील आहोर व भाद्राजुन को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट, मेसेनरी स्टोन व रॉयोलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट, मेसेनरी स्टोन व रॉयोलाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट, मेसेनरी स्टोन व रॉयोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	186483800	23.05..2023	24.05.2023	03.30 पी.एम. से 05.30 पी. एम.
15	233बी	खनि अभियन्ता, जालौर	जिला बाडमेर की तहसील सिवाणा व समदडी की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट, रॉयोलाईट तथा मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट, रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	ग्रेनाइट, रॉयोलाईट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	99622200	23.05..2023	24.05.2023	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
16	254	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	19002600	23.05..2023	24.05.2023	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.

17	26	खनि अभियन्ता भरतपुर	जिला भरतपुर की तहसील नगर व पहाडी की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/आकार/माप)	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	970384000	24.05.2023	25.05.2023	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
18	229	खनि अभियन्ता, सिरौही	जिला सिरौही की तहसील सिरौही, रेवदर, शिवगंज व पिण्डवाडा की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	444199400	24.05.2023	25.05.2023	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.
19	163	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	460613500	24.05.2023	25.05.2023	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.
20	242	खनि अभियन्ता, सीकर	जिला सीकर की तहसील श्रीमाधोपुर एवं खण्डेला की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	80797467	24.05.2023	25.05.2023	11.30 ए.एम. से 01.30 पी. एम.
21	234	खनि अभियन्ता, सौजतसिटी	जिला पाली (तहसील रायपुर को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज ग्रेनाइट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज ग्रेनाइट	ईआरसीसी	ग्रेनाइट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	489881600	24.05.2023	25.05.2023	12.00 दोपहर से 02.00 पी. एम.

22	158	खनि अभियन्ता, झुंझुनू	जिला झुंझुनू की तहसील खेतडी, बुहाना, उदयपुरवाटी व नवलगढ की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फैंल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट, फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फैंल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	सोपस्टोन, रेडऑकर, पायरोफलाईट फायर क्ले, केलसाईट, क्वार्टज, फैंल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	25463800	24.05.2023	25.05.2023	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.
23	192	खनि अभियन्ता, राजसमंद-II	जिला राजसमंद की तहसील राजसमंद, कुम्भलगढ, गढबोर, खमनोर, देलवाड़ा, नाथद्वारा एवं रेलमगरा की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फैंल्सपार, केलसाईट, माईका, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सैण्ड एवं पायरोफिलाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फैंल्सपार, केलसाईट, माईका, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सैण्ड एवं पायरोफिलाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फैंल्सपार, केलसाईट, माईका, सोपस्टोन, डोलोमाईट, सिलिका सैण्ड एवं पायरोफिलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	199216100	24.05.2023	25.05.2023	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.
24	174	सहायक खनि अभियन्ता, नीमकाथाना	जिला सीकर की तहसील नीमकाथाना की राजस्व सीमा में खनिज डोलोमाईट, क्वार्टज, फैंल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज डोलोमाईट, क्वार्टज, फैंल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	ईआरसीसी	डोलोमाईट, क्वार्टज, फैंल्सपार, सिलिका सैण्ड एवं केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	91770100	24.05.2023	25.05.2023	01.30 पी.एम. से 03.30 पी. एम.

25	173	सहायक खनि अभियन्ता, कोटपुतली	जिला जयपुर की तहसील कोटपुतली, पावटा, शाहपुरा एवं विराटनगर की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, कैलसाईट, चाईना क्ले, व्हाइट क्ले, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, यलो ऑकर, फायर क्ले एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, कैलसाईट, चाईना क्ले, व्हाइट क्ले, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, यलो ऑकर, फायर क्ले एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फेल्सपार, कैलसाईट, चाईना क्ले, व्हाइट क्ले, डोलोमाईट, सिलिका सेण्ड, रेड ऑकर, यलो ऑकर, फायर क्ले एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	227271100	24.05.2023	25.05.2023	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
26	264	खनि अभियन्ता, बून्दी-II	जिला बून्दी की तहसील बून्दी एवं हिण्डोली की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (बर्निंग) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (बर्निंग)	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (बर्निंग)	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	40405100	24.05.2023	25.05.2023	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
27	261	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील नागौर व जायल की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खननपट्टों एवं जारी अस्थाई एस. टी. पी. परमिटों से निर्गमित खनिज जिप्सम	आरसीसी / ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, प्रिमीयम शुल्क, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	95778600	24.05.2023	25.05.2023	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
28	175	खनि अभियन्ता, करौली	जिला करौली की राजस्व सीमा में खनिज सिलिका सैण्ड, व्हाइट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, वैराईटीज, फेल्सपार एवं साधारण खडिया के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिका सैण्ड, व्हाइट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, वैराईटीज, फेल्सपार एवं साधारण खडिया	ईआरसीसी	सिलिका सैण्ड, व्हाइट क्ले, चाईना क्ले, सोपस्टोन, क्वार्टज, वैराईटीज, फेल्सपार एवं साधारण खडिया	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	54542600	24.05.2023	25.05.2023	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.

29	30	खनि अभियन्ता भीलवाडा	जिला भीलवाडा की तहसील जहाजपुर एवं कोटड़ी की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	3027400	24.05.2023	25.05.2023	03.00 पी.एम. से 05.00 पी. एम.
30	224	सहायक खनि अभियन्ता, बांरा	जिला बांरा की तहसील बांरा, किशनगंज व शाहबाद की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	6821200	24.05.2023	25.05.2023	03.30 पी.एम. से 05.30 पी. एम.
31	180	खनि अभियन्ता, चित्तौड़गढ़	जिला चित्तौड़ की तहसील चित्तौड़ व गंगरार की राजस्व सीमा में खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	चाईनाक्ले, रेड ऑकर, येलो ऑकर, सिलिका सैण्ड, क्वार्टज व क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	72300000	24.05.2023	25.05.2023	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
32	92	सहायक खनि अभियन्ता झालावाड	जिला झालावाड की राजस्व सीमा में खनिज सैण्ड स्टोन एवं मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	सैण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता / आकार / माप)	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	8198200	24.05.2023	25.05.2023	04.00 पी.एम. से 06.00 पी. एम.
33	111	खनि अभियन्ता, रामगंजमण्डी	जिला कोटा की तहसील सांगोद की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1364000	25.05.2023	26.05.2023	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

34	188	खनि अभियंता, भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा की तहसील शाहपुरा, फूलियाकलां, बनेड़ा, माण्डल, करेड़ा, आसीन्द एवं बदनोर की राजस्व सीमा में खनिज चुनाई पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चुनाई पत्थर	ईआरसीसी	चुनाई पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	20930100	25.05.2023	26.05.2023	10.30 ए.एम. से 12.30 पी. एम.
35	164	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर (तहसील मेडता को छोड़कर) व जिला बीकानेर की तहसील नोखा एवं जिला जोधपुर की तहसील भोपालगढ़ के ग्राम सूवाणा की राजस्व सीमा में खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन (अप्रधान)	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (अप्रधान)	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	1232032300	25.05.2023	26.05.2023	11.00 ए.एम. से 01.00 पी. एम.
36	90	खनि अभियन्ता रामगंजमण्डी	जिला कोटा की तहसील रामगंजमण्डी एवं जिला झालावाड़ की तहसील झालरापाटन, पिडावा व पंचपहाड की राजस्व सीमा में खनिज लाईम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन / डायमैन्शनल स्टोन) के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज लाईम स्टोन (बिल्डिंग स्टोन / डायमैन्शनल स्टोन) व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	लाईमस्टोन (बिल्डिंग स्टोन / डायमैन्शनल स्टोन) (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता / आकार / माप के लाईमस्टोन जिसमें से लाईमस्टोन यूज्ड इन इण्डस्ट्रीज को छोड़ते हुए) व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	1010737900	25.05.2023	26.05.2023	11.30 ए.एम. से 01.30 पी. एम.

37	91	खनि अभियंता, बूंदी-II	जिला बूंदी की तहसील हिण्डोली की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	37943300	25.05.2023	26.05.2023	12.00 दोपहर से 02.00 पी. एम.
38	185, 186 व 187	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा की तहसील आसीन्द, बदनोर, हुरडा, रायपुर, सहाडा, हमीरगढ, भीलवाडा, माण्डल, बनेडा व करेडा की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका व केलसाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका, केलसाईट	ईआरसीसी	क्वार्टज, फ़ैल्सपार, माईका व केलसाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	209091700	25.05.2023	26.05.2023	12.30 पी.एम. से 02.30 पी. एम.
39	161	खनि अभियंता, उदयपुर	संपूर्ण जिला उदयपुर एवं जिला डूंगरपुर की तहसील साबला व आसपुर की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, चायना क्ले, सिलिका सेण्ड, बैरायटीज, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाईट, फ़ैल्सपार, पायरोफ़्ल्साईट एवं यलो ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, चायना क्ले, सिलिका सेण्ड, बैरायटीज, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाईट, फ़ैल्सपार, पायरोफ़्ल्साईट एवं यलो ऑकर	ईआरसीसी	सोपस्टोन, डोलोमाईट, केलसाईट, रेडऑकर, चायना क्ले, सिलिका सेण्ड, बैरायटीज, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाईट, फ़ैल्सपार, पायरोफ़्ल्साईट एवं यलो ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	257373200	25.05.2023	26.05.2023	01.00 पी.एम. से 03.00 पी. एम.

40	263	खनि अभियंता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाइट क्ले, चाईना क्ले, बॉल क्ले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाइट क्ले, चाईना क्ले, बॉल क्ले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर	ईआरसीसी	सिलिकासेण्ड, डोलोमाईट, व्हाइट क्ले, चाईना क्ले, बॉल क्ले, येलो ऑकर, एवं रेड ऑकर	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	39772500	25.05.2023	26.05.2023	01.30 पी.एम. से 03.30 पी.एम.
41	193 व 220	खनि अभियन्ता, आमेट	जिला राजसमंद की तहसील आमेट, भीम एवं देवगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन, फाईलाईट शिष्ट व मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन, फाईलाईट शिष्ट व मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	क्वार्टज, फेल्सपार, माईका, स्लेट स्टोन, फाईलाईट शिष्ट व मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	87510000	25.05.2023	26.05.2023	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
42	94	सहायक खनि अभियन्ता बारां	जिला बारां की तहसील छबडा, छीपाबडौद व अटरु की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन एवं सैण्ड स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन व सैण्ड स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन व सेण्ड स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	13356400	25.05.2023	26.05.2023	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.
43	189	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील साबला एवं आसपुर को छोड़कर शेष संपूर्ण जिला डूंगरपुर की राजस्व सीमा में खनिज सोपस्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन	ईआरसीसी	सोपस्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	20369700	25.05.2023	26.05.2023	02.30 पी.एम. से 04.30 पी.एम.

44	182	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	जिला चित्तौड की तहसील भदेसर, बड़ी सादड़ी, निम्बाहेडा, व झुंगला की राजस्व सीमा में खनिज रेडऑकर, चाईनाक्ले, येलोऑकर, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रेडऑकर, चाईनाक्ले, येलोऑकर, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	रेडऑकर, चाईनाक्ले, येलोऑकर, क्वार्टज, सिलिका सैण्ड एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	59872300	25.05.2023	26.05.2023	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
45	89	खनि अभियन्ता, बूंदी-II	जिला बून्दी की तहसील हिण्डोली, बून्दी, नैनवा व तालेडा (कार्यालय ख.अ. बून्दी द्वितीय के क्षेत्राधिकार में आने वाले ग्राम की राजस्व सीमा) की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	21677400	25.05.2023	26.05.2023	03.00 पी.एम. से 05.00 पी.एम.
46	58	सहायक खनि अभियन्ता दौसा	जिला दौसा की तहसील दौसा की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	4896000	25.05.2023	26.05.2023	03.30 पी.एम. से 05.30 पी.एम.
47	241	खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा	जिला भीलवाड़ा की तहसील कोटडी एवं जहाजपुर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	7934000	25.05.2023	26.05.2023	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
48	162	खनि अभियन्ता, बूंदी-खण्ड द्वितीय	जिला बून्दी की तहसील-हिण्डोली एवं नैनवा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज-रेड ऑकर, यलो ऑकर, क्वार्टज एवं चाईनाक्ले का अधिक अधिशुल्क, डी.एम. एफ.टी. शुल्क एवं आर.एस.एम.ई.टी. संग्रहण ठेका	ईआरसीसी	रेड ऑकर, यलो ऑकर, क्वार्टज एवं चाईनाक्ले	अधिक अधिशुल्क, डी. एम.एफ.टी. एवं आर. एस.एम.ई.टी	3313336	13.06.2023	14.06.2023	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें—

- ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जावेगी। विज्ञप्ति के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- 2 ठेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जावेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/कमी की जायेगी।
- 3 ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण / सबलेट तथा अर्द्यपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- 4 ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा / क्वारी लाईसेंस / परमिट के खण्डित / सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने / न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा / क्वारी लाईसेंस / परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 5 ठेकों में कोई भी व्यक्ति / फर्म / कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते हैं। परन्तु उच्चतम बोलीदाता को बोली समाप्ति तिथि के 15 दिवस में विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 के नियम 35 व 36 के प्रावधानों अनुसार उच्चतम बोली राशि के अनुसार निर्धारित क्लास का प्रस्तुत करना होगा (न कि आरक्षित राशि के अनुसार)।
- 6 रूपया 10 करोड से अधिक बिड राशि के ठेकों में ठेकेदार को स्वयं के खर्चे पर कम्प्यूटराईज तुलायंत्र स्थापित करना होगा जो ठेका समाप्ति के बाद विभाग को सुपुर्द करना होगा।
- 7 ई-ऑक्शन हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम / शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निदेशों की पालना करनी होगी।
- 8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञप्ति के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता एम.एस.टी.सी. की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जावेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जावेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:—

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही एमएसटीसी के पोर्टल में पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैन्युअल) अथवा एमएसटीसी के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।



- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के वक्त पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 पंजीयन हेतु ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन फार्म भरने के बाद एम.एस.टी.सी. द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की सूची (जैसे पैन कॉड, एड्रेस प्रुफ, बैंक अकाउन्ट नम्बर, बैंक से हस्ताक्षर का प्रमाणीकरण, डी.एस.सी. सीरियल नम्बर, फर्म / कम्पनी होने की दशा में अधिकृत व्यक्ति का पैन कार्ड एवं एड्रेस प्रुफ, रजिस्ट्रेशन फीस 10000/- व जी.एस.टी. जमा कराने पर जारी यू.टी.आर. नम्बर) बोलीदाता को उसके ई-मेल आई.डी. पर भिजवाई जावेगी। बोलीदाता को रजिस्ट्रेशन फीस जमा कराते हुये दस्तावेज एम.एस.टी.सी. को ई-मेल से भिजवाने होंगे।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर एमएसटीसी में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञप्ति में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा कराये। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जावेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई बिड सिक्यूरिटी राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली सायं 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी। क्योंकि सायं 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिर से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जावेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी जिसके सीरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा एमएसटीसी को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।
- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जावेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।

7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-

- i बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
- ii विभागीय ना बकाया के संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्टेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्वारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्कैन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जावे।

1. यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जावे।

- iii बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
- iv बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
- v आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएमसीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
- vi PAN card / GSTIN की प्रति।
- vii एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
- viii ईमेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- ix विभागीय पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति (प्रस्तुत की गई बोली की क्लास अनुसार)

8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा विड प्रतिभूति राशि जब्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(डी.पी. गौड़)
अतिरिक्त निदेशक (खान मु0)

प्रतिलिपि :-

- 1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन एम एस टी सी की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।
- 3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
- 4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-
अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा।
ब - अधीक्षण खनि अभियंता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।
स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करौली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-I/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/ उदयपुर/राजसमन्द-I/ II/आमेर/भीलवाडा/चित्तोडगढ़/प्रतापगढ़/बिजौलिया/झुंझुनू/ब्यावर/जालोर/वाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर।
द -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूमवर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बांरा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ़/चुरू/ नीमकाथाना/सावर।

(डी.पी. गोड)
अतिरिक्त निदेशक (खान मु०)